सिविल मिसेलेनियस

माननीय न्यायालय प्रेम चंद जैन, जे।

देव राम और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

सिविल रिट नं. 1969 का 2778

25 सितंबर, 1970

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (1961 का XVIII)-धारा 7 और 13-शमीलाट भूमि के अनधिकृत अधिभोगियों को बाहर निकालने के लिए आवेदन-पंचायत के अधिकार से इनकार करने वाला अधिभोगकर्ता-ऐसे अधिभोगियों को बाहर निकालने के लिए सहायक कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र-चाहे बेदखल किया गया हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 7 के अधीन सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी को पंचायत को जमींदारी या अन्य अचल संपत्ति के कब्जे में रखने का अधिकार है, जो शमीलत देह में निहित है या उसमें निहित मानी गई है और उस प्रयोजन के लिए या तो स्वतः या पंचायत या गांव के निवासी के आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसी भूमि के गलत या अनधिकृत कब्जे में है, को उपधारा (1) के अधीन प्रक्रिया के अनुसार बाहर निकाल दिया जाता है। यह धारा स्पष्ट रूप से सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करती है जो शमीलाट भूमि के गलत या अनधिकृत कब्जे में है और यदि विवाद में भूमि पर कब्जे की प्रकृति के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस आकस्मिकता में, सहायक कलेक्टर उस मामले में जाएंगे। अधिनियम की धारा 13 अधिनियम के संचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को प्रतिबंधित करती है। इसलिए अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही करना सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का अनन्य अधिकार क्षेत्र है और उस व्यक्ति की ओर से पंचायत के अधिकार से केवल इनकार करना, जिस पर शमिलात भूमि के गलत या अनधिकृत कब्जे का आरोप है, अधिनियम की धारा 7 के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। (पैरा 5 और 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या प्रत्यर्थी संख्या 1 के आक्षेपित आदेश, दिनांक 22 जुलाई, 1969 (अनुलग्नक 'क') को निरस्त करते हुए निर्देश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ताओं के लिए भाल सिंह मौक, अधिवक्ता।

पूरन चंद अधिवक्ता, केवल प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए।

फैसला

1) दीया राम और बनवारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपनी रिट याचिका दायर की है, जिसमें आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी गई है। आयुक्त, अंबाला, प्रभाग, प्रत्यर्थी नं 2, दिनांक 22 जुलाई, 1969 (याचिका के अनुलग्नक 'क' की प्रतिलिपि।)

2) संक्षेप में तथ्य, 1 जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 रोहतक जिले की गोहाना तहसील के गांव सरसाद के निवासी हैं और आयत संख्या में शामिल 22 कनाल और 14 मरला की भूमि पर खेती कर रहे हैं। 21 और किला संख्या 15,19 और 20 तथा 14 मार्च, 1967 को ग्राम पंचायत, प्रत्यर्थी नं. 4, ने पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के तहत कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं। 5 इस आधार पर कि वे ग्राम पंचायत की सहमति के बिना विवाद में भूमि के अनधिकृत कब्जे में थे। इस आवेदन को याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी नं. 5 जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि वे विवादित भूमि के मालिक थे और अपने पूर्वजों के समय से उसी पर खेती कर रहे थे। इस मामले की सुनवाई सहायक कलेक्टर द्वारा की गई, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 5 को बाहर निकालने का आदेश दिया-उनके 30 मार्च, 1968 के आदेश के अनुसार (याचिका के अनुलग्नक 'सी' की प्रति) उस आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, दीया राम याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की, जिसे रोहतक के कलेक्टर ने स्वीकार कर लिया-उनके 26 अगस्त, 1968 के आदेश के अनुसार (याचिका के अनुलग्नक 'आर' की प्रति) कलेक्टर के आदेश से व्यथित ग्राम पंचायत प्रत्यर्थी नं. 4, आयुक्त, अंबाला डिवीजन, अंबाला के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे उनके द्वारा 22 जुलाई, 1969 को अनुमति दी गई थी (याचिका के अनुलग्नक 'ए' की प्रतिलिपि) जैसा कि पहले देखा गया है, यह आयुक्त के इस आदेश की वैधता और शुद्धता है जिसे इस याचिका के माध्यम से विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है।

3) प्रत्यर्थी संख्या 4 को छोड़कर किसी भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसने एक लिखित बयान दायर किया है जिसमें याचिका में लगाए गए भौतिक आरोपों का खंडन किया गया है।

4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा मेरे समक्ष आग्रह किया गया मुख्य आधार यह है कि सहायक कलेक्टर को मामले में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वामित्व का सवाल यह आरोप लगाते हुए उठाया गया था कि वे विवादित भूमि के मालिक थे। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वत वकील का तर्क है कि अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र सहायक कलेक्टर द्वारा केवल उन मामलों में प्रयोग किया जा सकता है जहां यह स्वीकार किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ निष्कासन के लिए आवेदन दायर किया गया है, वह शमिलात भूमि के अनधिकृत कब्जे में है और अन्यथा नहीं।

5) विवाद, हालांकि सरल है, बल से रहित है। अधिनियम का सुसंगत उपबंध जो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को किसी पंचायत को उन भूमि के कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत करता है, जो उसमें निहित हैं या निहित मानी गई हैं, निम्नानुसार हैः –

"7. (1) गाँव में न्याय-क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर, पंचायत द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, ऐसी संक्षिप्त जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो निर्धारित की जाए, पंचायत को उस गाँव की शमिलात देह में भूमि या अन्य अचल संपत्ति के कब्जे में रखेगा जो इस अधिनियम के तहत निहित है या उसमें निहित माना जाता है और ऐसा करने के लिए सहायक कलेक्टर पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887 के तहत भूमि के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन के संबंध में राजस्व न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
(2) गाँव में अधिकारिता रखने वाला प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर, या तो स्वतः या किसी पंचायत या गाँव के निवासी द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार और उसके अनुसार किसी व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है, जो उस गाँव के शमिलात देह में किसी भूमि या अचल संपत्ति के गलत या अनधिकृत कब्जे में है, जो इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या निहित माना जाता है।"

इस धारा के अधीन सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को अधिकार है कि वह पंचायत को शमीलत देह में भूमि या अन्य अचल संपत्ति के कब्जे में रखे जो उसमें निहित है या निहित मानी गई है और उस प्रयोजन के लिए, या तो स्वतः या पंचायत या गाँव के निवासी के आवेदन पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी भूमि के अनुचित या अनधिकृत कब्जे में है, बाहर निकाल सकता है। यह धारा स्पष्ट रूप से सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करती है जो शमीलाट भूमि के गलत या अनधिकृत कब्जे में है और यदि विवाद में भूमि पर कब्जे की प्रकृति के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस आकस्मिकता में, सहायक कलेक्टर उस मामले में जाएंगे। यदि वह पंचायत के खिलाफ कोई निष्कर्ष निकालता है तो वह आवेदन को खारिज कर देगा और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दूसरा पक्ष गलत या अनधिकृत कब्जे में है, तो वह मामले में आगे बढ़ेगा। कानून का कोई भी प्रावधान मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया था जो इस निष्कर्ष की गारंटी दे सकता था कि विरोधी पक्ष द्वारा कब्जे की प्रकृति से इनकार करने से धारा 7 के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायशास्त्र को हटा दिया जाएगा। यदि भूमि की प्रकृति, विरोधी पक्ष द्वारा विवादित है, तो अधिनियम के तहत प्राधिकरण को अभी भी मामले में जाना है ताकि उसके सामने किए गए कथन की शुद्धता निर्धारित की जा सके।

6) इसके अलावा, धारा 13 अधिनियम के संचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिबंधित करती है। इसका मतलब यह है कि केवल धारा 7 के तहत ही पंचायत को शमिलात भूमि के कब्जे में रखा जा सकता है और वह व्यक्ति, जो इसके अनधिकृत या गैरकानूनी कब्जे में है, उसे बाहर निकाला जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क नहीं किया जा सकता है। यदि केवल इनकार करने पर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी आगे बढ़ने से इनकार करता है, तो वह क़ानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहेगा। अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही करना सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का अनन्य अधिकार क्षेत्र है और धारा 13 उस संबंध में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है। दीवानी न्यायालय में एक मुकदमा होगा यदि यह दिखाया जाता है कि सहायक कलेक्टर का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है या कानून के चार सदस्यों के बाहर है और यह कि संपत्ति शमिलात देह नहीं है। इस प्रकार मेरी यह सुविचारित राय है कि जिस व्यक्ति पर शमिलात भूमि के अनुचित या अनधिकृत कब्जे का आरोप लगाया गया है, उसकी ओर से केवल इनकार करना अधिनियम की धारा 7 के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

7) इसके बाद विद्वत वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भाग लेने वाले 12 वर्षों से अधिक समय से विवादग्रस्त भूमि से बेदखल होने के लिए उत्तरदायी नहीं थे क्योंकि वे कब्जे में थे। विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि 12 वर्ष के व्यवसाय की अवधि की गणना सहायक कलेक्टर के समक्ष आवेदन दाखिल करने के समय तक की जानी है। उनके तर्क के समर्थन में अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) (ii) पर भरोसा रखा गया है जो इस प्रकार हैः -

"(3) उपधारा (1) के खंड (क) में और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई
बात,.....

(ii) किराए के भुगतान के बिना या भूमि राजस्व और उस पर देय उपकर से अधिक शुल्क के भुगतान के बिना बारह वर्षों से अधिक समय तक शमिलात देह के कब्जे में खेती करने वाले व्यक्तियों के अधिकार;
(iii) * * * * * * * *।"

विद्वान वकील के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है। ऊपर पुनरुत्पादित कानून के सुसंगत उपबंध के सरल पठन से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 12 वर्ष की अवधि की संगणना अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख तक की जानी है न कि उस तारीख तक जब अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन दाखिल किया जाता है।

8) कोई अन्य बिंदु का आग्रह नहीं किया जाता है।

9) ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा